



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम मल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@gov.in, goimoechvolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/09/248/2022/एफ.सी./453

दिनांक: 02.09.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/118929/2021

विषय: जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल अडानी गैस प्राईवेट लि० द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अनीवास एवं मखौना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईपलाईन बिछाने हेतु 0.015 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं० : पी-270/81-2-2022-800(282)/2022, लखनऊ, दिनांक-05.08.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जैसा कि आप द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र RoW में आता है एवं किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। FCA Guidelines के Clause सं० 4.2 के अनुसार यदि प्रस्ताव अर्हता रखता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: मूल प्रस्ताव।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
4. सहायक प्रबंधक इण्डियन अडानी गैस प्राईवेट लि०, अलीगढ़।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)